



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 07.02.2026

- थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 05.01.2026 को वादिया द्वारा माननीय न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र विपक्षी राजा संखवार द्वारा वादिनी के साथ जबरन दुष्कर्म करना, वादिनी के भाई व पिता द्वारा विरोध करने पर विपक्षी राजा संखवार व उसके पति सुनील कुमार संखवार द्वारा मारपीट करने के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस में पारित आदेश के अनुपालन में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 12/2026 धारा 376/323/34 भादवि0 बनाम 1. राजा संखवार पुत्र धीर सिंह संखवार उम्र 22 वर्ष, 2. सुनील कुमार संखवार पुत्र मनीराम (पति) उम्र 36 वर्ष निवासीगण ग्राम हलधरपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त राजा शंखवार पुत्र धीर सिंह संखवार निवासी ग्राम हलधरपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 06.02.2026 को अभियुक्त के घर के बाहर वहद ग्राम हलधरपुर से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण-

- राजा शंखवार पुत्र धीर सिंह संखवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम हलधरपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
- हेठला 217 बीरेन्द्र कुमार